रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003−05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, मई 11—मई 17, 2014, शनिवार/वैशाख 21—वैशाख 27, 1936

No. 20] NEW DELHI, MAY 11—MAY 17, 2014, SATURDAY/VAISAKHA 21—VAISAKHA 27, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 13 मई, 2014

सा.का.नि. 94.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राजभाषा विभाग, उप निदेशक (हिंदी शिक्षण योजना), भर्ती नियम, 1990 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में उप-निदेशक (हिंदी शिक्षण योजना) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, उप निदेशक (हिंदी शिक्षण योजना) भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप निदेशक (हिंदी शिक्षण योजना)	*06 (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन बैंड-3; 15600—39100 ₹. + ग्रेड वेतन 6600 ₹.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-3; 15600—39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. में ऐसे सहायक निदेशक (भाषा) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(11)
टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. सचिव (राजभाषा), राजभाषा विभाग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग —सदस्य 3. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 14034/56/2009-राभा (प्रशि.)]

सूरज भान, निदेशक (प्रशिक्षण)

(Department of Official Language)

New Delhi, the 13th May, 2014

G.S.R. 94.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language (Deputy Director, Hindi Teaching Scheme), Recruitment Rules, 1990 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Hindi Teaching Scheme) in the Central Hindi Training Institute, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute, Deputy Director (Hindi Teaching Scheme), Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director (Hindi Teaching Scheme)	*06(2014) (*Subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, ₹ 15600—39100 with Grade Pay of ₹ 6600	Selection	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By promotion	**By Promotion :** Assistant Director (Language) in the Pay Band-3, ₹ 15600—39100 with Grade Pay of ₹ 5400 with five years regular service in the grade. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by any officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Secretary (Official Language), Department of Official Language —Chairman 2. Joint Secretary, Department of Official Language —Member 3. Director, Central Hindi Training Institute —Member	Not applicable

[F. No. 14034/56/2009-OL (Trg.)]

SURAJ BHAN, Director (Training)

नई दिल्ली, 13 मई, 2014

सा.का.नि. 95.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, हिंदी शिक्षण योजना, सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवम् हिंदी आशुलिपि) भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में सहायक निदेशक (हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, हिंदी शिक्षण योजना, सहायक निदेशक (हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि) भर्ती नियम, 2014 हैं ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट है ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि)	*39 (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अनधिक । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी एक अनिवार्य विषय के साथ या हिंदी माध्यम से बैचलर डिग्री ; या 10+2 स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य विषय के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री । (ii) हिंदी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता और हिंदी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति । (iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (रा. व्या. प्र. प.) या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के संस्थान द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण के तत्वाधान के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में एक वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

(7)
(iv) हिंदी आशुलिपि में पांच वर्ष का अनुभव, जिसमें हिंदी टंकण भी सम्मिलित है । **वांछनीय :** (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था में हिंदी आशुलिपि में कक्षाएं संगठित करने का दो वर्ष का अनुभव जिसमें हिंदी टंकण भी सम्मिलित है । (ii) कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान जिसमें हिंदी टंकण से संबंधित हिंदी साफ्टवेयर का ज्ञान भी है । **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों क अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा । पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी । (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव है ।	लागू नहीं होता

(10)
टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किस अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन, या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **टिप्पण 4:** वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. (पुनरीक्षित) में इस पद के उन्नयन से पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान 7500-250-12000 रु. में सहायक निदेशक (हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि) के नियमित पद धारक की उपयुक्तता, उन्नयित समूह 'क' पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी । यदि उपयुक्त निर्धारित किया जाता है तो वह आरंभिक गठन के समय से सहायक निदेशक (हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि) के समूह 'क' पद पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा । यदि उसे "अनुपयुक्त" निर्धारित किया जाता है तो वह समूह 'ख' पद में निरंतर बना रहेगा और उसक मामले का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. संयुक्त सचिव (राजभाषा) राजभाषा विभाग —अध्यक्ष 2. निदेशक, राजभाषा विभाग —सदस्य 3. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान —सदस्य	पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 14034/61/2009-राभा(प्रशि.)]

सूरज भान, निदेशक (प्रशिक्षण)

New Delhi, the 13th May, 2014

G.S.R. 95.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) in the Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme, Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) Recruitment Rules 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc..—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band, and Grade pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography)	*39 (2014) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-3, ₹ 15600-39100 with grade pay of ₹ 5400.	Not applicable	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India

(6)
(and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : (i) Bachelor's degree from a recognised University with Hindi as one of the compulsory subject or with Hindi Medium. or Bachelors' Degree from a recognised University with Hindi as one of the compulsory subjects at 10+2 level. (ii) Proficiency in Hindi stenography with speed of 100 words per minute in Hindi shorthand and 40 words per minute in Hindi typewriting. (iii) One year diploma or certificate course in Hindi typewriting and Hindi stenography conducted by Industrial Training Institute or other institutions under the aegis of the National Council for Vocational Training (NCVT) or training imparted by the institute of State Governments or Union territories. (iv) Five years' experience in Hindi stenography including Hindi typewriting. **Desirable :** (i) Two years experience in organising classes in Hindi stenography including Hindi typewriting in a recognised Institution. (ii) Working knowledge of computer including Hindi software relating to Hindi typing. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates	Not applicable	Two years for direct recruits.

(7)
belonging to the Scheduled Castes ot the Scheduled Tribes, if any stage of the selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the posts reserved for them.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment : Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more shall be filled on deputation basis from the officers of the Central Government or State Governments or Union territories. (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two year's service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-2, ₹ 9300-34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-2, ₹ 9300-34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.	Not applicable

(10)
Note 4: The suitability of the regular holder of the post of Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) in the pre-revised scale of ₹ 7500-250-12000 prior to upgradation of this post in the pay band-3, ₹ 15600-39100 with grade pay of ₹ 5400 (revised) shall be assessed by the Union Public Service Commission for appointment to the upgraded Group 'A' post. If assessed suitable he shall be deemed to have been appointed to the Group 'A' post of Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) at the initial constitution. If assessed 'not suitable' he shall continue in Group 'B' post and his case shall be revised every year.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Joint Secretary (Official Language) Department of Official Language —Chairman 2. Director, Department of Official Language —Member 3. Director, Central Hindi Training Institute —Member	Consultation with Union Public Service necessary for filling up the posts.

[F. No. 14034/61/2009-OL (Trg.)]

SURAJ BHAN, Director (Training)

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 22] नई दिल्ली, जून 12—जून 18, 2016, शनिवार/ज्येष्ठ 22—ज्येष्ठ 28, 1938
No. 22] NEW DELHI, JUNE 12—JUNE 18, 2016, SATURDAY/JYAISTHA 22—JYAISTHA 28, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 10 जून, 2016

सा.का.नि. 95.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) भर्ती (संशोधन) नियम 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, हिंदी शिक्षण योजना, सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) भर्ती नियम 2014, की अनुसूची के स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती नियम किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक

और अन्य अर्हताओं से संबंधित मद (ii) में "हिंदी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति" अंकों और शब्दों के पश्चात "प्रत्येक शब्द के लिए 5 की-डिप्रैशन के औसत पर 12000 केडीपीएच के समरूप" अंक और शब्द अंत: स्थापित किये जाएंगे ।

[फा.सं. 14034/24/2015-राभा(प्रशि.)]

मंजुला सक्सैना, उप सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग- II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. 95 तारीख 17 मई 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

New Delhi, the 10th June, 2016

G.S.R. 95 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following amendments to the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme, Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) Recruitment Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme, Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme, Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) Recruitment Rules, 2014, in the Schedule, in the entries under column (7) relating to educational and other qualifications required for direct recruits, in item (ii), after the figures and words "40 words per minute in Hindi typewriting", the words, figures and letter "correspond to 12000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word" shall be inserted.

[F. No. 14034/24/2015-OL(Training)]

MANJULA SAXENA, Dy. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 95, dated the 17th May, 2014.

(DISASTER MANAGEMENT DIVISION)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 15th June, 2016

G.S.R. 96 .— In continuation of the Notification dated 8th April, 2016 Recruitment Rules for the post of Fire Adviser and Deputy Fire Adviser in the O/o DG(FS,CD & HG) Ministry of Home Affairs, the necessary amendments are as under :—

1. In GSR No. 55 at Page 353 Para-5

शिथिल करने की भक्ति के स्थान पर शिथिल करने की शक्ति पढा जाए ।

2. In GSR No. 56 at Page 364 Column No. 10

In place of "to be filled by Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies various methods may be amended as "

"Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods"

The Notification dated 8the April, 2016 stands amended to the above extent. All other contents of this notification remain the same.

[No. I-12011/1/2009-Ad (CD)]

B.L. MEENA, Dy. Secy.